

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, इन्दगढ
जिला-बून्दी



* जाति प्रमाण-पत्र *

क्रमांक 16/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/13478
दिनांक 19-12-2016

आवेदक का आधार नम्बर : 954927978183
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : VGSBHGT

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र मीना पुत्र राम कुमार मीना गांव/नगर ग्राम व् पोस्ट देईखेडा तहसील इन्दगढ जिला बुन्दी राजस्थान जिला/डिवीजन बून्दी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में मीना (9) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950,
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951,
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रमियों (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, सिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (अपभ्रान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नगार हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नगार हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी जितेन्द्र मीना गांव/नगर ग्राम व् पोस्ट देईखेडा तहसील इन्दगढ जिला बुन्दी राजस्थान जिला/डिवीजन बून्दी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट :

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं एफ 21(37) एस जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र फियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी इन्दगढ

Digitally signed by
TIVARI MANI
KUMARI
Date: 2016.12.19
10:38:13 +05'30
Reason: ICM
Location: Rajasthan



1623149310012151